



उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला
तहसील
आवेदन क्र०
प्रमाणपत्र क्र०

मुरादाबाद
मुरादाबाद
171350030036837
042173011193

जारी दिनांक: 23/07/2017

प्रमाणित किया जाता है कि
पुत्र/पुत्री
माता का नाम
निवासी
ग्राम
तहसील
जिला

कु. MONIKA
श्री MADANPAL SINGH
श्रीमती O
O, SAMATHAL
मुरादाबाद
मुरादाबाद



उत्तर प्रदेश राज्य की कुम्हार जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि कु. MONIKA पूर्वोक्त अधिनियम 1994 (यथा संशोधित) की अनुसूची 2 (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं वो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2002 एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III, दिनांक 20 अक्टूबर 2004 द्वारा संशोधित की गई है, से अप्रभावित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा उनके पास धन कर अधिनियम 1946 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।



जारी कर्ता केन्द्र: सचिन अग्रवाल, आई.- सी.एस.सी.
पद: सचिन अग्रवाल, केन्द्र प्रभारी
स्थान: बुद्धि विहार वार्ड -
17, मुरादाबाद, Moradabad
दिनांक: 23/07/2017
हस्ताक्षर एवं मुहर

SUNITA
SINGH

Digitally Signed by
SUNITA SINGH
DISTRICT OFFICE
GABHANA,
UD-REVENUE
DEPARTMENT, S. Utter
Pradesh

सखम अधिकारी/तहसीलदार
डिजिटल हस्ताक्षरित
मुरादाबाद, मुरादाबाद
दिनांक: 23/07/2017

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक विनिर्देश सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है। सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <http://edistrict.up.nic.in> पर इसका पहले आवेदन क्र० फिर प्रमाणपत्र क्र० अंकित कर, तलाशित किया जा सकता है।